आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 179/13–14
सीताराम सिंह वनाम् राधेश्याम सिंह एवं अन्य
आदेश

28.05.14

आवेदक सीताराम सिंह पिता स्व० नथुनी सिंह ग्राम बनिया विगहा, थाना वो अंचल अरवल, जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर विपक्षी के कब्जे के प्रयास को रोकने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम ताजपुर विशुनपुर थाना वो अंचल अरवल,जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
141	81 79	03 डी० 05 डी०	उ०– द्वारिका सिंह, द०–रामनरेश सिंह पु०–चनारिक सिंह एवं अन्य वादी प०–फेकन सिंह
139	76	$4\frac{1}{2}$ डी०	

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी को उपस्थिति हेतु प्राधिकार से सर्वप्रथम डाक द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। तदुपरान्त अनुसेवी के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया और नोटिस तामिला को संपुष्ट किया गया। विपक्षी उपस्थित नही हुए और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है,जिसका दाखिल खारिज आवेदक के नाम से हो चुका है।

(2) वादी एवं प्रतिवादी के बीच वर्षो पूर्व बँटवारा हो चुका है और वादी बँटवारा के बाद विवादित भूमि को कय किया है।

(3) वादी सेवा निवृत शिक्षक है और उन्हें सिर्फ पुत्रियॉ है। प्रतिवादी तंग तबाह करने के नीयत से वादी को हमेशा तंग करते रहते है।

(4) विवादित भूमि पर आज भी वादी का दखल कब्जा है।

(5) धारा 145 द०प्र०सं० वाद संख्या 586/04 सीताराम सिंह वनाम् देवकुमार सिंह में आवेदक के पक्ष में आदेश पारित हुआ है।

(6) आवेदक प्रथम पक्ष को वृद्ध होने तथा सिर्फ पुत्री होने का फायदा उठाकर अनावश्यक प्रथम पक्ष को डराते धमकाते रहते है,तथा प्रश्नगत् भूमि पर दखल कब्जा करने की धमकी देते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित भूमि पर विपक्षी के कब्जा करने के प्रयास को रोकने का आदेश देने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का

अवलोकन किया। आवेदक को विवादित जमीन दो केवालाओं से खरीदगी प्राप्त है। विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। अतः विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकार की प्रख्यापना की जाती है। साथ ही विपक्षी को विवादित भूमि पर कब्जा करने के प्रयास को भी मना करती है। प्राधिकार अंचल अधिकारी अरवल को आदेश देती है कि अगर विपक्षी के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जाता है तो उनके विरूद्व विधि सम्मत कारवाई करें। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी अरवल को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

28.05

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

28.05

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।